166

संख्या-102/1-10-2014-12(34)/03टी.सी. 1

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा, कासगंज, वाराणसी, मुरादाबाद, इलाहाबाद, आगरा, कौशाम्बी, झांसी, अम्बेडकर नगर एवं कन्नौज।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक : 31 जनवरी, 2014

विषय : वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधित ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधित ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024/1-10-2010-14(63)/2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधित ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या-32-3/2013-एन0डी0एम0-1, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आईटम नं0-3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु कम्बल/अलाव हेतु रू0 38,00,000/- (रूपये अड़तीस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क0 सं0	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	बांदा	4	4,00,000 (रू0 एक लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
2	कासगंज	3	3,00,000 (रू0 एक लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
3	वाराणसी	3	1,00,000 (कम्बल हेतु)
4	मुरादाबाद	4	4,00,000 (रू0 एक लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)

BLANKET 23

5	इलाहाबाद	8	4,00,000 (अलाव हेतु)
6	आगरा	6	6,00,000 (रू0 एक लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
7	कौशाम्बी	3	3,00,000 (रू0 एक लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
8	झांसी	5	5,00,000 (रू0 एक लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
9	अम्बेडकर नगर	5	5,00,000 (रू0 एक लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
10	कन्नौज	3	3,00,000 (रू0 एक लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
			कुल योग रू0- 38,00,000

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -42-अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा ।

3- शासनादेश संख्या-3570/1-10-2013-12(34)/03टी.सी.-1, दिनांक 19.11.2013 तथा शासनादेश संख्या-3570(1)/1-10-2013-12(34)/03टी.सी.-1, दिनांक 05.12.2013 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-102(1)/1-10-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
5- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

BLANKET 24